उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा

की

वर्ष 1984-85

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

NIEPA DC
D04411

प्रकाशक :
निदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

Educational
D-4411
88

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT FOR THE YEAR 1984-85 OF HIGHER EDUCATION

Two Universities and 128 affiliated colleges, which include 98 non-Govt. Colleges, are providing Higher Education in the State. In those colleges 18 colleges belong to Teacher's Training. The number of students received education in these colleges in the years 1984-85 is 1,15,382, out of that the number of girls students is 35,346. Colleges of Education trained 2887 students out of which 1607 are girls students.

Two new women colleges were opened in the year 1984-85. Seventy eight posts of lecturer were created during this period.

Rs. 1814.12 lacs were spent on . Higher Education in the year 1984-85. The expenditure in non-govt. Colleges to the tune of 95% of the deficit is met by the Govt. in form of maintenance grant. An amount of Rs. 2.72 crores to Rohtak University, Rs. 2.89 crores to Kurukshetra University and Rs. 5.60 crores to non-govt. colleges was given as grant in the year 1984-85.

Under the various schemes of scholarships and financial aids of Govt. of India an amount of Rs. 75.60 lacs was spent and 8364 students were benefited. Under the various schemes of scholarships and financial aids of State Govt. an amount of Rs. 29.51 lacs was spent and the number of beneficiaries was 8196. Out of this amount, Rs. 84.75 lacs was spent on scheduled castes students and 12197 students got benefit under these schemes.

N.S.S. programmes is running in the State for the development of personality and mind of the students. The number of volunteers in the colleges this year was 17000. 115 camps were organised by the volunteers for rural uplift. Rs. 17.05 lacs were provided for N.S.S. programme during this year.

Students are imparted training in three Navy, Army and Air Services under N. C. C. scheme. The number of cadets in the junior division of school students is 16150 and the number of cadets in the senior division of college students is 11200.

Two District Libraries were established in Karnal and Sirsa during this year.

उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा की वर्ष 1984-85 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए दो विश्वविद्यालय और इससे सम्बन्धित 128 महाविद्यालय हैं जिनमें 98 महाविद्यालय गैर सरकारी हैं। इन महाविद्यालयों में 18 महाविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण के हैं। वर्ष 1984-85 में इन महाविद्यालयों में 115382 विद्यार्थियों ने शिक्षा ग्रहण की जिनमें छात्राओं की संख्या 35346 है। इन छात्रों में 2887 छात्र शिक्षक प्रशिक्षण के हैं जिनमें 1607 छात्रायें हैं।

वर्ष 1984-85 में दो नये महिला महाविद्यालय खोले गए। वर्ष 1984-85 में 78 प्राध्यापकों के पद स्वीकृत किए गए जिनमें 11 नये विषय आरम्भ करने के कारण तथा 67 कार्यभार के कारण स्वीकृत किए गए।

वर्ष 1984-85 में उच्चतर शिक्षा पर 1814.12 लाख रुपये व्यय किए गए। सरकार अराजकीय महाविद्यालयों के घाटे की 95 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति अनुरक्षण अनुदान के रूप में करती है। वर्ष 1984-85 में 2.72 करोड़ रुपये रोहतक विश्वविद्यालय को, 2.89 करोड़ रुपये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तथा 5.60 करोड़ रुपये अराजकीय महाविद्यालयों को अनुदान दिया गया।

भारत सरकार की विभिन्न छात्रवृत्तियों एवं वित्तीय सहायता के अन्तर्गत 75.60 लाख रुपये की राशि खर्च की गई तथा 8364 छात्रों को लाभान्वित किया गया। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्तियों एवं वित्तीय सहायता के अन्तर्गत 29.51 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 8196 छात्रों को लाभान्वित किया गया इनमें से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों पर 84.75 लाख रुपये व्यय किए गए तथा 12197 छात्रों को लाभ पहुंचाया।

छात्रों के व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास के लिए राज्य में एन0 एस0 एस0 कार्यक्रम चालू है। महाविद्यालयों में स्वयं सेवकों की संख्या 17,000 है। ग्रामीण जनता उत्थान हेतु स्वयं सेवकों द्वारा वर्ष 1984-85 में 115 शिविर

लगाये गए । एन0एस0एस0 कार्यक्रम के लिए वर्ष 1984-85 में 17.05 लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

एन0सी0सी0 स्कीम के अन्तर्गत छात्रों की सेना की तीनों जल, थल, तथा वायु सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है । विद्यालयों के छात्रों के जूनियर डिविजन के कैडट्स की संख्या 16150 है तथा महाविद्यालय के छात्रों के सीनियर डिविजन के कैडट्स की संख्या 11200 है।

वर्ष 1983-84 में करनाल तथा सिरसा में जिला पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं ।

अध्याय पहला

प्रशासन एवं संगठन

1.1 वर्ष 1984-85 में श्री जगदीश नेहरा शिक्षा मंत्री के पद पर रहे।

(क) सचिवालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन वर्ष में शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के पद पर श्री एल० एम० जैन, आई० ए० एस० रहे। संयुक्त सचिव के पद पर श्री एस० एल० धनी, आई० ए० एस० और उपसचिव के पद पर श्री सुबीर सिंह, एच० सी० एस० ने कार्य किया।

(ख) निदेशालय स्तर पर

निदेशक, उच्चतर शिक्षा के पद पर श्री ओ० पी० भारद्वाज, आई० ए० एस० ने कार्य किया तथा निम्नलिखित पदों पर अन्य अधिकारियों ने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए निदेशक उच्चतर शिक्षा को सहयोग दिया :—

पद	पदों की संख्या
1. संयुक्त निदेशक महाविद्यालय	1 एच० ई० एस०
2. प्रशासन अधिकारी	1 एच० सी० एस०
3. उप निदेशक महाविद्यालय	1 एच० ई० एस०
4. सहायक निदेशक महाविद्यालय	3 —सम—
5. लेखा अधिकारी महाविद्यालय	1 —
6. रजिस्ट्रार शिक्षा	1 —
7. सहायक रजिस्ट्रार शिक्षा	1 —

1.2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय

राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रत्यक्ष रूप में सुचारु प्रशासन तथा उच्च शिक्षा के विकास के लिए निदेशक उच्चतर शिक्षा के प्रति उत्तरदायी हैं।

परन्तु गैर सरकारी महाविद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियां ही चलाती हैं। राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीति को अपनाते हैं।

1.3 शिक्षा पर व्यय

वर्ष 1984-85 में उच्चत्तर शिक्षा पर 1814.12 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इनमें से योजनेत्तर पक्ष पर 1501.21 लाख रुपये तथा योजना पक्ष पर 312.65 लाख रुपये थी। वर्ष 1983-84 में यह व्यय 1317.65 लाख रुपये था। जिसमें से योजनेतर व्यय 1151.16 लाख रुपये तथा योजना गत व्यय 166.49 लाख रुपये था।

1.4 विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान

अराजकीय महाविद्यालयों में शिक्षा कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार उदारतापूर्वक अनुदान देती है। अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत राज्य सरकार अराजकीय महाविद्यालयों को उनके घाटे का 95 प्रतिशत तक अनुदान देती है। केवल यही नहीं अराजकीय महाविद्यालयों को उनके विकास के लिए भी वित्तीय सहायता समय-समय पर दी जाती रही है। रिपोर्टाधीन वर्ष में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को शिक्षा एवं शिक्षा विकास कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित अनुदान दिए गए :—

क्र0	1983-84 (रुपये करोड़ों में)	1984-85 (रुपये करोड़ों में)
1. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	1.88	2.72
2. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	2.31	2.89
3. अराजकीय महाविद्यालय को अनुरक्षण अनुदान	3.50	5.40

इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय महाविद्यालयों को 19.75 लाख रुपये का तदर्थ अनुदान भी दिया गया।

अध्याय दूसरा

सामान्य शिक्षा महाविद्यालय

2.1 महाविद्यालयों की संख्या

हरियाणा राज्य में दो विश्वविद्यालय हैं । एक महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक, दूसरा कुरुक्षेत्र विश्वविक्षालय, कुरुक्षेत्र । इसके अतिरिक्त राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 30-9-84 की स्थिति अनुसार निम्न प्रकार थी :—

	1983-84		1984-85	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
राजकीय महाविद्यालय	32	1	32	1
अराजकीय महाविद्यालय	52	24	51	26
जोड़	84	25	83	27

2.2 छात्र संख्या

(क) इन महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है :—

शिक्षा स्तर	1983-84		1984-85	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
प्री यूनिवर्सिटी	35421	9883	34967	10478
तीन वर्षीय डिग्री कोर्स एम० ए०/एम० एस० सी०/	38658	18661	40044	20677

एम0 कॉम0	2203	1950	2049	2078
पी0 एच0 डी0/एम0 फिल	257	195	302	220
अन्य	1163	119	1394	286
जोड़	77702	30808	78756	33739

संस्थाओं अनुसार छात्र संख्या

	1983-84		1984-85	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
राजकीय महाविद्यालय	26495	6507	26271	7368
अराजकीय महाविद्यालय	48547	23099	47683	24985
विश्वविद्यालय	2660	1202	2802	1386
जोड़	77702	30808	78756	33739

वर्ष 1983-84 में हरियाणा में सामान्य शिक्षा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 108510 थी, जबकि अब वर्ष 1984-85 में 112495 हो गई है ।

(ख) महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या :—

	1983-84		1984-85	
शिक्षा स्तर	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
प्री-यूनिवर्सिटी	3677	195	3485	190
तीन वर्षीय डिग्री कोर्स	2790	206	3155	247
एम0 ए0/एम0 एस0 सी0/एम0 कॉम0	152	13	185	24
पी0 एच0 डी0/एम0 फिल	3	—	11	2
अन्य	117	5	108	3
जोड़	6739	419	6944	466

संस्थाओं अनुसार छात्र संख्या

राजकीय महाविद्यालय		2623	109	2525	134
अराजकीय महाविद्यालय		3928	298	4226	318
विश्वविद्यालय		188	12	193	14
	जोड़	6739	419	6944	466

वर्ष 1983-84 में राज्य में सामान्य शिक्षा महाविद्यालयों में अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या 7158 थी जो वर्ष 1984-85 में 7410 हो गई है।

2 3 अध्यापक

रिपोर्टाधीन अवधि में महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी:—

	1983-84		1984-85	
1	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
राजकीय महाविद्यालय	1053	370	1088	417
अराजकीय महाविद्यालय	1668	703	1701	736
विश्वविद्यालय	328	38	322	49

2.4 नये महाविद्यालय खोलना

हरियाणा राज्य में उच्चतर शिक्षा का सतत विस्तार किया जाता रहा है। वर्ष 1984-85 में पिछड़े क्षेत्रों में कन्याओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने

के उद्देश्य से सरकार ने 2 महिला महाविद्यालय खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये। ये दो नये महाविद्यालय निम्नलिखित हैं :—

1. महाराजा अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, झज्जर।
2. कन्या महाविद्यालय, फतेपुर पुण्डरी।

2.5 प्राध्यापकों के नये सृजन किये गए पदों की संख्या

वर्ष 1984-85 में प्राध्यापकों के निम्नांकित अनुसार पद सृजन किये गए :—

1. नये विषय आरम्भ करने के कारण	11
2. कार्यभार के कारण	67

2.6 वर्ष 1984-85 में निम्न अनुसार महाविद्यालयों में नये विषय/कक्षायें आरम्भ की गई :—

महाविद्यालय	विषय	कक्षाएं
1 द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय, गुड़गांव	मनोविज्ञान	प्रैप तथा बी0 ए0-I
2 राजकीय महाविद्यालय, सिद्धरावली	गणित	प्रैप तथा बी0ए0
3 राजकीय महाविद्यालय, नरवाना	भूगोल	प्रैप तथा बी0 ए0-I
4 राजकीय महाविद्यालय, गोहाना	लोक प्रशासन	प्रैप तथा बी0 ए
5 राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद	लोक प्रशासन	प्रैप तथा बी0 ए0-I
6 राजकीय महाविद्यालय पंचकूला	संगीत बोकल	प्रैप तथा बी0 ए0-II
7 राजकीय महाविद्यालय, आदमपुर	विज्ञान मैडिकल तथा नान मैडिकल	बी0 एस0 सी0-II
8 राजकीय महाविद्यालय, करनाल	विज्ञान (मैडिकल)	बी0 एस0 सी0-II
9 राजकीय महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़	गृह विज्ञान	प्रैप तथा बी0 ए0-I
10 राजकीय महाविद्यालय, कालका	मनोविज्ञान तथा भूगोल	प्रैप तथा बी0 ए0-I

2.7 सह शिक्षा

हरियाणा राज्य में लड़कों के सभी महाविद्यालयों में लड़कियों को भी पढ़ने की अनुमति है

2.8 सेवा सुरक्षा

वर्ष 1984-85 में सरकार द्वारा सेवा सुरक्षा अधिनियम, 1979 में यथोचित संशोधन किया गया जिसके अनुसार यह अधिनियम अब ऐसे कालेजों पर भी लागू होगा जो सरकार से ग्रांट नहीं लेते हैं। इसमें सभी अराजकीय महाविद्यालयों में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को उचित सेवा सुरक्षा मिल सकेगी।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1984-85 में सरकार द्वारा बी0 एड0 कोर्स में प्रवेश हेतु नीति में परिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप जिन शिक्षण संस्थाओं में अमला जरूरत से अधिक हो गया था तथा एस0 डी0 शिक्षण महाविद्यालय, नरवाना जो इस नीति के कारण बन्द हो गया था, उसके समस्त अमले को भी अन्य अराजकीय महाविद्यालयों में समायोजित किया गया।

अध्याय तीसरा

छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

3.1 योग्य विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के भिन्न-2 स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिए राज्य तथा भारत सरकार की भिन्न-2 स्कीमों के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को भी शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है।

3.2 भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

महाविद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य छात्रों को उत्साहित करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में 1102 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 298 छात्रों को 100 रुपये का नौशनल प्राईज तथा योग्यता प्रमाण पत्र दिए गए। ये नौशनल प्राईज तथा प्रमाण पत्र उन छात्रों को दिए गए जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6000/- रुपये से अधिक होने के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकते थे। राष्ट्रीय छात्र-वृत्ति योजना पर 13.13 लाख रुपये खर्च किए गए। वर्ष 1983-84 में इस स्कीम अधीन 1127 छात्रवृत्तियों पर 14.73 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

3.3 राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में 1124 हरियाणवी योग्य छात्रों को मैट्रिक उपरान्त उच्च शिक्षा की संस्थाओं में पढ़ने के लिए योग्यता छात्रवृत्ति दी गई तथा छात्रवृत्ति के रूप में 4.56 लाख रुपये की राशि छात्रों में वितरित की गई। यह छात्रवृत्ति उन्हीं विद्यार्थियों को दी गई जिन के अभिभावकों की वार्षिक आय 10000 रुपये है। वर्ष 1983-84 में इस

स्कीम के अन्तर्गत 724 छात्रवृत्तियों पर 4.52 लाख रुपये की राशि व्यय की गई ।

3.4 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गरीब माता-पिता के योग्य छात्रों को जो कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति ऋण के रूप में दी जाती हैं । वर्ष 1984-85 में 80 छात्रों को 55500 रुपये की राशि ऋण के रूप में वितरित की गई । वर्ष 1983-84 में 112 छात्रों को 92 हजार रुपये की राशि ऋण के रूप में वितरित की गई ।

3.5 राज्य हरिजन कल्याण योजना अधीन अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को सुविधाएं

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती हैं ।

अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को विभिन्न कक्षाओं और कोर्सों में पढ़ने हेतु 30/- रुपये मासिक दर से लेकर 70/- रुपये की मासिक दर तक वजीफे/छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। 1984-85 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के 4935 छात्र/छात्राओं को 22.22 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां / वजीफे दिए गए । इस राशि में से हरिजन तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में 5496 छात्र/छात्राओं को 24.95 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां/वजीफे दिए गए ।

3.6 भारत सरकार की मैट्रिक उपरान्त अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा संस्थाओं में भिन्न-2 कक्षाओं/कोर्सों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं को 50 रुपये

से लेकर 200 रुपये मासिक दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय 9000 रुपये तक है उन्हें पूरी दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय 9001 रुपये से 12000 रुपये है उन्हें आधी दर से छात्रवृत्ति दी जाती है । इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में 7262 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए तथा 62.53 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । वर्ष 1983-84 में इस योजना के अन्तर्गत 6944 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुई तथा 79.50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । अनिवार्य रूप से दी जाने वाली निःशुल्क शिक्षा के अन्तर्गत छात्रों के कक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है ।

3.7 अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्ति

हरियाणा में स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है । वर्ष 1984-85 में 23 को छात्रवृत्तियां दी गई । इसके अतिरिक्त 13 छात्रों को 100 रुपये का नौशनल प्राईज तथा योग्यता प्रमाण पत्र दिए गये । ये नौशनल प्राईज तथा प्रमाण पत्र उन विद्यार्थियों को दिए गए जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6000 रुपये से अधिक होने के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकते थे । इस छात्रवृत्ति योजना पर 0.25 लाख रुपये खर्च किए गए । जिससे 25 छात्रों को लाभ हुआ । वर्ष 1983-84 में इस छात्रवृत्ति पर 0.24 लाख रुपये खर्च हुए थे और 22 छात्रों को लाभ पहुंचा था ।

3.8 न्यून आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति

इस स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा के लिए 2000/- रुपये या इससे कम आय वर्ग के अभिभावकों के बच्चों को 2400 रुपये की आय सीमा इंजीनियरिंग/मैडिकल/कृषि/पशु पालन के कोर्सों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए 27 रुपये से लेकर 70 रुपये मासिक दर से छात्रवृत्ति दी जाती है । इसके अतिरिक्त शिक्षा शुल्क, अन्य अनिवार्य फण्ड तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है । वर्ष 1984-85 में इस स्कीम के

अन्तर्गत 0.88 लाख रुपये की राशि खर्च की गई तथा 114 छात्रों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1983-84 में इस स्कीम के अन्तर्गत 1.25 लाख रुपये की राशि खर्च की गई तथा 153 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

3.9 विमुक्त जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति

विमुक्त जाति के बच्चों को स्कूल तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्र-वृत्ति देने के लिए अलग से विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है । वर्ष 1984-85 में इस योजना के लिए 1.60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई तथा 2000 छात्रों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1983-84 में भी इस योजना के लिए 93000 रुपये की व्यवस्था की गई तथा 2000 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

3.10 उपरोक्त दी गई छात्रवृत्तियां संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

छात्रवृत्ति योजना	लाभान्वित छात्रों की संख्या		व्यय की राशि	
	1983-84	1984-85	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1. भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	1127	1102 तथा 298 नौशनल	14.73	13.13
2. राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति	724	1124	4.52	4.56
3. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति	112	80	0.92	0.56
4. हरिजन कल्याण योजना अधीन छात्रवृत्ति	5496	4935	24.95	22.22

1	2	3	4	5
5. भारत सरकार मैट्रिक उपरान्त अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति	6944	7252	79.50	62.53
6. अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्ति	22	25 तथा 13 मौशनल प्राईज	0.24	0.25
7. न्यून आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृति	153	114	1.25	0.88
8. विमुक्त जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	2000	3000	0.93	1.60

अध्याय चौथा

विविध

4.1 अध्यापक प्रशिक्षण

वर्ष 1984-85 में भिन्न-2 वर्गों के प्रशिक्षण के लिए राज्य में निम्न-लिखित पाठ्यक्रम की सुविधाएं उपलब्ध थीं :—

(क) एम0 एड0 कक्षाएं

राज्य में एम0एड0 की कक्षाएं सोहन लाल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाला, राव वीरेन्द्र सिंह शिक्षा महाविद्यालय, रिवाड़ी तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में उपलब्ध रहीं । इन तीनों संस्थाओं में वर्ष 1984-85 में 58 लड़कों तथा 80 लड़कियों ने प्रवेश प्राप्त किया। वर्ष 1983-84 में इन छात्रों की संख्या 48 लड़के तथा 85 लड़कियां थीं ।

(ख) बी0 एड0 कक्षाएं

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा महाविद्यालय की संख्या 18 थी जिनमें बी0 एड0 प्रशिक्षण अध्यापकों की कक्षाएं चालू थीं । इन सभी महाविद्यालयों में 1212 लड़के तथा 1527 लड़कियों ने बी0एड0 कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त किया । वर्ष 1983-84 में इन छात्रों की संख्या 1050 लड़के तथा 1395 लड़कियां थीं ।

(ग) शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण

शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, हिसार तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में समुचित प्रबन्ध हैं । वर्ष 1984-85 में शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 27 लड़के तथा 20 लड़कियों ने और स्नातक स्तर पर 130 लड़के तथा 19 लड़कियों ने प्रवेश प्राप्त किया । वर्ष 1983-84 में शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण के

लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 29 लड़के तथा 10 लड़कियों ने तथा स्नातक स्तर पर 104 लड़के तथा 8 लड़कियों ने प्रवेश प्राप्त किया ।

4.2 एन0 एस0 एस0

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास के लिए भारत सरकार की सहायता से हरियाणा राज्य में एन0एस0एस0 कार्यक्रम चालू है । वर्ष 1984-85 में एन0एस0 एस0 योजना के अन्तर्गत स्वयं सेवकों की संख्या 17000 हो गई थी । इस प्रोग्राम के लिए वर्ष 1984-85 में विभाग के बजट में 17.05 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी । इस समय यह प्रोग्राम हरियाणा राज्य में स्थित तीनों विश्वविद्यालयों तथा इनसे सम्बन्धित 115 महाविद्यालयों में चल रहा है । वर्ष 1983-84 में विभाग के बजट में इस कार्यक्रम के लिए 16.80 लाख रुपये की व्यवस्था थी । ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एन0 एस0 एस0 के स्वयं सेवक, विशेष सहयोग देते हैं। ग्रामीण जनता उत्थान हेतु यूथ फार रुरल रिकंस्ट्रक्शन (Youth for Rural Reconstruction) अभियान के अधीन हरियाणा राज्य में वर्ष 1984-85 में 156 शिविर लगाये गए थे । इन शिविरों में से 77 शिविर रोहतक विश्वविद्यालय द्वारा, 76 शिविर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा तथा तीन शिविर कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा लगाये गये इन शिविरों में से कुछ शिविर मलिन बस्तियों में लगाये गए। 8552 छात्रों ने इन शिवरों में भाग लिया। इस योजना के अन्तर्गत स्वयं सेवक ग्रामीण सामूहिक विकास के लिए विशेष शिविर कार्यक्रम तथा सामान्य गतिविधियों के कार्य करते हैं । इस उद्देश्य के लिए वे अन्य विभागों का तथा स्थानीय जनता का भी सहयोग प्राप्त करते हैं । इन शिविरों में मुख्य निम्नलिखित कार्यक्रमों पर कार्य किया गया :—

1. Education and Recreation including Adult Education.
2. Slum Clearance.
3. Health and Family Welfare & nutrition Programme.
4. Production Oriented Programme.
5. Social Service in Welfare institution.

6. Work during emergencies.
7. Improvement of the status of women.
8. Improvement of Sanitation.
9. Eradication of dowry and other social evils.
10. Plantation of trees.

4.3 एन0 सी0 सी0

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एन0 सी0 सी0 स्कीम के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, स्थल तथा वायु सेवाओं का प्रशिक्षण राज्य में एन0सी0सी0 कैडिटस को दिया जाता है। विद्यालयों के छात्रों के लिए जूनियर डिविजन तथा महाविद्यालयों के छात्रों के लिए सीनियर डिवीजन स्थापित किए गए। छात्र अपनी स्वेच्छा से एन0 सी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, अनिवार्य रूप से नहीं। इस परियोजना को चलाने का कार्य भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर करती हैं। वर्ष 1984-85 में एन0 सी0 सी0 परियोजना को चलाने हेतु 86 90 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। हरियाणा में एन0 सी0 सी0 कार्यक्रम की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(क) सीनियर डिविजन

	बटालियन की संख्या	कैडिटस की संख्या
इन्फैन्टरी बटालियन लड़कों के लिए	12	9000
इन्फैन्टरी बटालियन लड़कियों के लिए	2	1600
वायु स्कावड्रन	2	400
जल विंग यूनिट	1	200
ग्रुप हैडक्वार्टर	2	--

(ख) जूनियर डिविजन

	टरूपस की संख्या	कैडिटस की संख्या
आर्मी विंग (लड़कों के लिए)	138	13350
आर्मी विंग (लड़कियों के लिए)	10	1000
जल विंग	5	1350
वायु विंग	14	450

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 1984-85 में 400 जूनियर डिविजन तथा 480 सीनियर डिविजन की अतिरिक्त कैडिटस संख्या बढ़ाई गई। एन0 सी0 सी0 सीनियर डिविजन द्वारा जूनियर डिविजन लड़कियों सहित कैडिटस के रिस्क को कैम्पों के दौरान कवर करने हेतु वर्ष 1984-85 में हरियाणा राज्य में ग्रुप इनश्योरैंस स्कीम लागू की गई। हरियाणा के कैडिटस को पैरा सैल का प्रशिक्षण देने हेतु ग्रुप कमाण्डर एन0 सी0 सी0 ग्रुप मुख्यालय अम्बाला कैण्ट को 10000/- रुपये की राशि का एक पेरा सैल खरीदने की स्वीकृति वर्ष 1984-85 में दी गई।

एन0 सी0 सी0 एक्टीविटीज के दौरान 1984-85 में दो कैडिटस की अकस्मात् मृत्यु होने के कारण उनके अभिभावकों को पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

पार्ट टाईम एन0 सी0 सी0 अधिकारियों का मानदेय जनवरी, 1985 से बढ़ाया गया है। मानदेय बढ़ाने का पदवार विवरण निम्न प्रकार है :—

	पद	जनवरी, 1985 से पहले की दर	वर्तमान दर
		सीनियर डिविजन	
1.	मेजर	100/- रुपये मासिक	350/- रुपये मासिक
2.	कप्तान	90/- रुपये मासिक	300/- -सम-
3.	लैफ्टीनैंट	80/- -सम-	275/- -सम-

4.	2 लैफ्टीनैंट	75/-	रुपये मासिक	250/-	रुपये मासिक
		जूनियर डिविजन			
5.	चीफ आफिसर	75/-	-सम-	250/-	-सम-
6.	प्रथम आफिसर	65/-	-सम-	230/-	-सम-
7.	द्वितीय अधिकारी	55/-	-सम-	215/-	-सम-
8.	तृतीय अधिकारी	50/-	-सम-	200/-	-सम-

4.4 जिला पुस्तकालय

रिपोर्टाधीन अवधि में करनाल तथा सिरसा में जिला पुस्तकालयों की स्थापना की गई तथा इन दो पुस्तकालयों की स्थापना हेतु 101440/- रुपये की बजट व्यवस्था की गई। इस प्रकार हरियाणा राज्य में अब जिला पुस्तकालयों की संख्या 10 हो गई है। जिसमें केन्द्रीय पुस्तकालय अम्बाला भी सम्मिलित है।

4.5 भाषा कक्ष

शिक्षा विभाग में एक भाषा कक्ष स्थापित है। यह कक्ष हरियाणा राज्य के विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों आदि से प्राप्त प्रशासनिक सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का कार्य करता है। जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण, वित्त मन्त्री का भाषण, बजट, विभिन्न विभागों आदि से प्राप्त मैनुअल, संहिताएं व ज्ञापन, प्राशसनिक रिपोर्ट तथा प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रपत्रों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य सम्मिलित है। 1984-85 के दौरान 2590 मानक पृष्ठों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया गया।

हिन्दी भाषी राज्यों में प्रचलित प्रशासनिक शब्दों को सरल बनाने और उन्हें एक रूपता देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के संयोजन में बनी समिति की सभी बैठकों में भाग लिया और सर्व सम्मत प्रशासनिक शब्दावली का कार्य पूर्ण किया गया।

18517—D.P.I.—H.G.P., Chd.